

## एमएमटीसी लिमिटेड

स्कोप कांप्लेक्स

लोदी रोड, नई दिल्ली

(प्रशासन प्रभाग)

कारपोरेट कार्यालय

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से क्रय के लिए वार्षिक अधिप्राप्ति योजना

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईएस) के लिए लोक अधिप्राप्ति नीति (पीपीपी) के अनुसरण में एमएमटीसी ने अपने वार्षिक आवश्यकताओं में 20% के बराबर वस्तु एवं सेवाएं एमएसईएस से प्राप्त करने का प्रयास किया है। 20 % में से 4% वस्तुएँ एससी और एसटी कोटि के उद्यमियों से प्राप्त किया जाता है।

एमएसईएस से प्रशासनिक आवश्यकताओं के प्राप्त करने के क्रम में, वस्तुएँ एवं सेवाओं की प्राप्ति के लिए निविदा में प्राथमिकता से संबंधित खंड अनिवार्य रूप से दिए जाते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए कुल वार्षिक अधिप्राप्ति रूपये 10.82 करोड़ थी। इनमें से रूपये 5.73 करोड़ (जो कि न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत 20% के मुकाबले 52.96% है) की वस्तुएँ एवं सेवाएँ एससी/एसटी उद्यमियों सहित एमएसईएस से प्राप्त किया गया और रूपये 0.86 करोड़ (जो कि अनुबंधित 20% में 4% के मुकाबले लगभग 39.74% है) एमएसईएस के एससी/एसटी उद्यमियों से।

2018-19 के दौरान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए लोक अधिप्राप्ति नीति के अनुपालन में एमएमटीसी ने प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनज़र रूपये 8 करोड़ (+/-10%) (लगभग) की वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति की है।